यह निरीक्षण प्रतिवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी कर्णप्रयाग (चमोली) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

बाल विकास परियोजना अधिकारी कर्णप्रयाग (चमोली) के माह 04/2015 से 05/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विजय कुमार व.ले.प. श्री रविशंकर एवं श्री एस.एस. राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक 22.06.2017 से 28.06.2017 तक श्री एस.के. जौहरी लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की प्रथम बार लेखापरीक्षा की गयी।

2. (I) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से विशिष्ट (06) सेवाये समन्वित रुप से लाभार्थियों को प्रदान की जाती है। (1) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (2) स्वास्थ्य परीक्षण (3) सन्दर्भ सेवाये (4) प्रतिरक्षण टीकाकरण (5) नन्दा देवी कन्या धनयोजना का संचालन (6) पूरक पोषाहार।

3. (इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाय)

1. समेकित बाल विकास सेवायें
2. अनुपूरक पोषाहार
3. नन्दा देवी कन्या योजना
4. मुख्यमत्री वृद्ध महिला पोषण

} कर्णप्रयाग का क्षेत्र

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रा. अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	00.00	00.00	26.94	20.51	247.44	203.48	00.00	50.39
2016-17	00.00	00.00	33.73	26.72	189.86	149.13	00.00	47.74
2017-18	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

योजना का नाम	2015-16			2016-17		
	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय
शून्य						

(iii) इकाई को बजट आवंटन निदेशक जनजाति कल्याण द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना को सम्मिलित करते हे इकाई सी श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः- 1. सचिव 2. निदेशक 3. डी.पी.ओ. 4. सी.डी.पी.ओ.

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में बाल विकास परियोजना अधिकारी कर्णप्रयाग (चमोली) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी कर्णप्रयाग (चमोली) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 06/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1- नन्दा देवी कन्या योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को वितरण हेतु निर्गत रु 48.15 लाख की धनराशि को अवरुद्ध रखने सहित कुल 396 लाभार्थियों को रु 15000/- प्रति की दर से रु 59.40 लाख का भुगतान किया जाना लंबित रहना।

(अ) बाल विकास परियोजना अधिकारी कर्णप्रयाग के लेखा अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि नन्दा देवी कन्या योजना के अन्तर्गत विगत वर्षों के 321 लाभार्थियों को लाभान्वित करने हेतु मुख्यालय द्वारा 48,15000/- की धनराशि इकाई को प्रदान की गयी (मार्च 2017) परन्तु लेखापरीक्षा तिथि (जून 2017) तक उक्त धनराशि का वितरण लाभार्थियों के मध्य न किया जाकर उसको इकाई के बैंक खाते में अवरुद्ध रखा गया था, इस प्रकार 321 लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित थे। लेखापरीक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि स्टाफ की कमी के कारण लाभार्थियों के मध्य इस धनराशि का वितरण नहीं किया जा सका। इस कार्यवाही को शीध्र पूर्ण कर लिया जायेगा।

इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसी स्टाफ से इकाई के अन्य कार्य संपादित किये जा रहे थे लाभार्थियों को धनराशि का वितरण सिर्फ विभाग की उदासीनता से सम्पन्न नही किया जा सका था। फलतः लाभार्थियों हेतु धनराशि प्राप्ति के चार माह की अवधि के पश्चात भी 321 लाभार्थी इसके लाभ से वंचित थे।

(ब) बाल विकास परियोजना अधिकारी, कर्णप्रयाग की जांच में आगे पाया गया कि वर्ष 2013 से 2016 (चार वर्षो) की अवधि में कुल 396 आवेदको द्वारा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया गया था परन्तु लेखापरीक्षा तिथि (जून 2017) तक विभाग द्वारा इन नामो को मुख्यालय भेजकर इस हेतु आवश्यक 59.40 लाख की धनराशि की मांग नही की गयी थी इस प्रकार विभाग द्वारा उदासीनता दिखाते हुये 396 लाभार्थियों को इसके लाभ से वंचित रखा गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि " स्टाफ की कमी एवं कार्य की अधिकता के कारण लाभार्थियों के नाम मुख्यालय को नहीं भेजे जा सके। इसको अतिशीघ्र भेजा जायेगा तथा शीघ्र ही मुख्यालय से बजट की मांग की जायेगी।" विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विगत चार वर्षों (2013-2016) की अवधि में भी आवेदित लाभार्थियों के नाम मुख्यालय नहीं भेजे गये थे एवं न ही इस निमित्त मुख्यालय से बजट (59.40 लाख) की मांग की गयी थी। इस प्रकार कुल 396 लाभार्थियों को रु 15000/- प्रति की दर से रु 59.40 लाख की भुगतान लंबित रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- ब्याज की धनराशि रु 41432 का शासकीय खाते में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश सं0 U.O.18/XXVII (6)/टी0सी0ए0934-2014, दि0 21/04/2017 तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग के आदेश सं0 610/XVII (4)/2017-2(8)2017, दि0 26/04/2017 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रशासनिक विभागों द्वारा परियोजनाओं हेतु धनराशि बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है और उक्त ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा न करते हुए प्रयोग में लाया जा रहा है। यह एक वित्तीय अनियमितता है तथा निर्देशित किया है कि जितने भी बैंक खाते है उनमें अर्जित ब्याज की पुष्टि करते हुए तत्काल उक्त धनराशि राज्य सरकार के सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा कराया जाय।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, कर्णप्रयाग (चमोली) के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा विगत तीन वर्षों में कुल रु 41,432 का ब्याज अर्जित किया गया था जिसे उक्त शासनादेश के आलोक में तत्काल शासकीय खाते में जमा किया जाना अपेक्षित था परन्तु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि (जून 2017) तक भी अर्जित ब्याज की धनराशि शासकीय खाते में जमा नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगति किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि ब्याज की धनराशि को यथाशीध्र शासकीय खाते में जमा करा दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। अतः रु 41432 की ब्याज प्राप्ति को शासकीय खाते में जमा न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-3- किराये के वाहन हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रु 14000/- का अतिरिक्त व्यय।

निदेशालय, आई0सी0डी0एस0, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांकः C-390/ आई0सी0डी0एस0/वाहन-212/2015-16, दिनांक 04/06/2015 के अनुक्रम में जी0डी0पी0ओ0 कर्णप्रयाग, चमोली, उत्तराखण्ड को किराये पर वाहन आवंटन हेतु 31, मार्च, 2016 तक प्रतिवाहन पर प्रति वर्ष व्यय की जाने वाली धनराशि 2.15 लाख अर्थात माह में रु 18000/- की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

इकाई के वाहन सम्बन्धी अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि बाल विकास परियोजना अधिकारी हेतु एक किराये का वाहन श्री वृक्षण पुरोहित पुत्र श्री केशवानन्द पुरोहित से वाहन सं0 UK-11 TA-1331, रु 25000/- प्रति माह की दर से किराये पर लिया गया, तथा उन्हें अप्रैल, 2015 से मई, 2015 तक दो माह का रु 50.000/- का भुगतान किया गया, जब कि निदेशालय के आदेशानुसार रु 18000/- प्रतिमाह की दर से दो माह का कुल रु 36000/- का भुगतान किया जाना चाहिये था, इस प्रकार इकाई द्वारा रु 14000/- का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा कि अतिरिक्त भुगतान की जांच कर सम्प्रेक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं क्योंकि स्वीकृत आदेश रु 18000/- प्रतिमाह के विपरीत रु 25000/- प्रतिमाह की स्वीकृति इकाई को प्राप्त नही थी।

अतः विभागीय लापरवाही के कारण रु 14000/- की शासकीय हानि हुई।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-4- रु 37.55 लाख की धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना।

सामान्यतः विभाग दवारा कार्यदायी इकाईयों को योजनाओं के संचालन हेतु अवमुक्त की गई धनराशियों के व्यय होते ही उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने चाहिए।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, कर्णप्रयाग (चमोली) के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा मा0 मुख्यमन्त्री वृद्ध महिला पोषण योजना के क्रियान्वयन हेतु इकाई के अन्तर्गत संचालित आँगनवाड़ी केन्द्रों को वर्ष 2015-16 में रु 14.90 लाख एवं वर्ष 2016-17 में रु 22.65 लाख की धनराशियाँ आवंटित/अवमुक्त की गई थी परन्तु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि (जून 2017) तक उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शीघ्र ही उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये जायेंगे।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। अतः रु 37.55 लाख के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	**STAN**
प्रथम बार लेखापरीक्षा			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी कर्णप्रयाग (चमोली) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(I) शून्य

3. सतत् अनियमितताएं

(I) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री जितेन्द्र कुमार	बाल विकास परियोजना अधिकारी	25.04.14 से 03.12.15
2.	श्री देव सिंह	बाल विकास परियोजना अधिकारी	04.12.15 से वर्तमान

(V) लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति बाल विकास परियोजना अधिकारी कर्णप्रयाग (चमोली) को इस आशय से प्रेषित किया गया कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.